



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-25.11.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैण्ट में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 05 वर्ष 06 माह का कारावास व कुल 7000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-632/10 धारा 489-A, 489-B, 489-C भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त हरीलाल जायसवाल उर्फ छोटू पुत्र सत्यनारायण प्रसाद निवासी 159 सहादतपुरा थाना मऊ जनपद मऊ को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-25.11.2024 को माननीय न्यायालय ACC-I जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 489-B भा0द0वि0 में 05 वर्ष 06 माह कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से एवं धारा 489-C में 03 वर्ष कारावास व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।